न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 14/2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/99

1. मुखत्यार सिंह पुत्र तारा सिंह जाति रायसिख निवासी चक 43 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

—अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर
2. उप तहसीलदार भू.अ. समेजा कोठी

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री अवतार सिंह बराड़, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. राजपैरोकार एवं उपतहसीलदार समेजा कोठी, प्रत्यर्थीगण

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 18/7/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपीलार्थी द्वारा उप तहसीलदार समेजाकोठी के आदेश दिनांक 11.03.2024 जिसके द्वारा चक 43 पीएस तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 4 प.नं. 276/316 की 3.037है. बारानी भूमि का शुद्धिपत्र प्रार्थना पत्र अनुसार रकबा का गैर खातेदारी से खातेदारी नामान्तरण किये जाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया के विरूद्ध यह अपील मय प्रार्थना पत्र 96सीपीसी एवं प्रा. पत्र धारा 5 मियाद अधि. के प्रस्तुत की गयी हैं।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के पिता तारासिंह पुत्र साहिबसिंह व माता गोगाबाई पत्नी तारासिंह जाति रायसिख निवासी 43 पीएस के नाम से चक 43 पीएस के प.नं. 276/316 मु.नं. 4 कि.नं. 11/.126, 12/.127, 13/.126, 14/.127, 15/.126, 16 ता 25 प्रत्येक .253 कुल 3.162है. बारानी गैर खातेदार दर्ज था। नामान्तरण सं. 376 किस्म खातेदारी दिनांक 14.10.2014 के द्वारा रकबा खातेदारी दर्ज हुआ। नामान्तरण सं. 377 किस्म हुकमन दिनांक 14.10.2014 से उक्त मु.न. 4 कि.नं. 21 ता 25 में 0.125है. गै.मु. रास्ता दर्ज हुआ सेग्रीगेशन के समय संहबन से रकबा गैर खातेदारी दर्ज हो गया। त्रुटि में संशोधन करवाने के लिए रेस्पों. सं. 2 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गयी। पटवारी द्वारा शुद्धि पत्र जरिए खातेदार दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु लिखा गया। लेकिन प्रत्यर्थी सं. 2 ने शुद्धि नहीं कर शुद्धि पत्र नामान्तरण सं. 12 दिनांक 11.03.2024 को खारिज कर दिया। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा शुद्धि किये जाने के आदेश दिए गये लेकिन प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा प्रकरण शुद्धि पत्र का ना होकर आवंटन आदेश व सनद खातेदारी में दुरूस्ती का होने के आधार पर खारिज कर दिया क्योंकि कि.नं. 21 से 25 में से रास्ता भूमि अंकित होने से शेष भूमि ही गैर खातेदारी रह गयी। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध हैं। तारासिंह व गोगाबाई का देहान्त हो चुका हैं जिनका अपीलार्थी वारिस हैं, इसलिए अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित हैं तथा अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के उपरान्त दिनांक 26.04.2024 को नकल प्राप्त होने पर बिना किसी देरी के अपील पेश की गयी हैं। इसलिए जानकारी से अन्दर मियाद अपील ग्रहण करने हेतु निवेदन किया। तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधिविरूद्ध निर्णय को निरस्त करने तथा भूमि रिकार्ड में खातेदार दर्ज करने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

3. प्रत्यर्थीगण की ओर से राजपैरोकार व उपतहसीलदार समेजा कोठी ने निवदन किया कि आलौच्य आदेश विधिसम्मत पारित किया गया हैं रिकार्ड में भूमि केवल इंतकाल सं. 376 दिनांक 14.10.2014 के द्वारा खातेदारी का इन्तकाल स्वीकृत मात्र था सेग्रीगेशन से वर्तमान जमाबंदी तक रकबा गैरखातेदारी ही दर्ज चला आ रहा है। प्रकरण में दुरूस्ती उपखण्ड अधिकारी महो. द्वारा की जा सकती हैं। अपील अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
4. बहस वकील अपीलार्थी एवं राजपैरोकार पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि भूमि गोगा बाई और तारा सिंह के नाम से रिकार्ड दर्ज हैं और उनका देहान्त हो चुका हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को हितबद्ध पक्षकार होने के कारण अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता हैं।
5. अपील न्यायालय में दिनांक 06.05.2024 को प्रस्तुत की गयी हैं तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2024 को पारित किया गया हैं। अपीलार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं आलौच्य आदेश की जानकारी होने से पश्चात उनके द्वारा बिना किसी देरी के अपील पेश की गयी हैं। जानबूझकर देरी नहीं की गयी हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय की राय हैं कि अपील प्रकरण को गुणावगुण पर तय किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील को अन्दर मियाद ग्रहण किया जाता हैं।
6. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी मुखत्यार सिंह के द्वारा तहसीलदार रायसिंहनगर के समक्ष दिनांक 26.02.2024 को सनद खातेदारी के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया। जिस पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा पटवारी हल्का को जांच कर रिपोर्ट करने का आदेश पृष्ठांकित किया गया। पटवारी हल्का द्वारा आवेदन पत्र के पीछे की ओर दिनांक 28.02.2024 को रिपोर्ट अंकित की गयी कि "मु.नं. 4 प.नं. 276/316 कुल 3.162है. बारानी रकबा ई.सख्या 376 के द्वारा खातेदारी सनदर क्रमांक 3131 तारासिंह वल्द साहिब सिंह गोगाबाई पत्नी तारासिंह कौम रायसिख सा. देह के नाम से दर्ज हो चुका है। श्रीमान् जी सेग्रीगेशन जमाबंदी बनाते समय उक्त रकबा सहबन से गलती से गैर खातेदार दर्ज हो गया है।" इस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का को नियमानुसार शुद्धि करने के आदेश दिनांक 28.02.2024 को दिए गये। जिस पर पटवारी हल्का के द्वारा शुद्धि पत्र नामान्तरण सं. 12 दिनांक 01.03.2024 को दर्ज कर दिया। दिनांक 11.03.2024 को उप तहसीलदार समेजा कोठी के द्वारा यह लिखते हुए कि नामान्तरण की त्रुटिपूर्ण प्रविष्ठीयों को ठीक करने हेतु उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा सुनवाई का शुद्धि की कार्यवाही की जा सकती हैं शुद्धि पत्र विधिसम्मत न होने के कारण निरस्त कर दिया।
7. उप तहसीलदार समेजा कोठी द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.03.2024 में स्वयं यह अंकित किया हैं कि रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया हैं कि खातेदारी रका का गैर खातेदारी अंकन सेग्रीगेशन में नहीं हुआ हैं। जबकि पूर्व की जमाबंदीयों में रकबा गैर खातेदारी ही दर्ज चला आ रहा हैं। इन्तकाल सं. 376 दिनांक 14.10.2024 खातेदार इन्तकाल स्वीकृत मात्र था। इन्तकाल सं. 377 दिनांक 14.10.2024 जो गैर मु. रास्ता का दर्ज हुआ और शेष खाता 1.140है. बारानी ही दर्ज हुआ जो इन्तकाल की प्रविष्ठी गलत थी। अतः उपतहसीलदार द्वारा यह तो स्वीकार किया गया हैं कि रकबा पूर्व में खातेदार दर्ज हुआ था। ईन्तकाल सं. 376 अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध हैं का अवलोकन किया जिसके द्वारा सनद क्र. 3131 की पालना में भूमि 3.162है. का खातेदारी नामान्तरण दर्ज हुआ है। इन्तकाल सं. 377 दिनांक 14.10.2014 के द्वारा उक्त भूमि में से कि.नं. 21 ता 25 में 0.125है. भूमि आराजीराज दर्ज की गयी तथा शेष भूमि खाता बदस्तुर का अंकन किया गया। इन्तकाल सं. 377 द्वारा उक्त भूमि के अतिरिक्त खाता सं. 99 व 5 की भूमि के संबंध में भी दर्ज किया गया हैं। अपीलार्थी के द्वारा अपील पत्र के साथ जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत की गयी हैं जिसमें इन्ताकल सं. 376 व 377 का नोट अंकित हैं। सनद की प्रति भी अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गयी हैं।
8. ऐसी स्थिति में जब भूमि एक बार खातेदारी दर्ज हो गयी हैं लेकिन पश्चातवर्ती तैयार की गयी जमाबंदीयों में सहबन से भूमि पुनः गैर खातेदार अंकित हो गयी हैं

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)
जिला कलक्टर अनूपगढ़

की दुरूस्ती किया जाना राजस्व अधिकारियों से अपेक्षित हैं। केवल मात्र इस आधार पर शुद्धि नहीं करना कि भूमि में से कुछ भूमि आराजीराज/रास्त दर्ज हो चुकी हैं, उचित नहीं हैं क्योंकि भूमि पहले इन्तकाल सं. 376 द्वारा खातेदार दर्ज हुई तथा तथा रकबा इन्तकाल सं. 377 द्वारा कम किया गया हैं। चूंकि अपीलाधीन भूमि पूर्व में खातेदारी दर्ज हो चुकी हैं तथा पश्चातवर्ती राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार ही चली आ रही हैं जिसकी दुरूरती की जाकर भूमि रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जानी उचित हैं।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती हैं तथा उपतहसीलदार समेजा कोठी का आलौच्य आदेश दिनांक 11.03.2024 निरस्त किया जाता है। उपतहसीलदार समेजा कोठी को निर्देशित किया जाता हैं कि वे रिकार्ड में शुद्धि करते हुए अपीलाधीन भूमि खातेदारी दर्ज करें। निर्णय की प्रति उपतहसीलदार समेजा कोठी को उनके कार्यालय के मूल अभिलेख सहित पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक ...18/7/24... को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़.

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)